FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अरांई मुकाम अरांई (अजमेर)

ग्राम पंचायत देवपुरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राज ।

—प्रार्थी

बनाम

• गोपाल पुत्र सूजा जाति गांबी निवासी चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— धारा 131, 136 भू.राज.अधि. 1956

दर्ज क्रमांक 96/2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 84

वकील प्रार्थी :— योगेश शर्मा **वकील अप्रार्थीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01/10/24	**यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राज. अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली 18.10.2024 को पेश हो।** उपखण्ड अधिकारी अरांई	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / तलबी ......हेतु .... तलबी .....पत्रावली दिनांक 29/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. । ...तलबी.....हेतु ...... पत्रावली वास्ते..........तलबी..........हेतु दिनांक 03/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। **P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश** पर पधारे। पत्रावली ...... आदेशानुसार......... दिनांक 15/4/25 को पेश हो।	

नंबर व अहकाम हुक्म की ... में जारी

14/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब मुख्यालय कार्य/[illegible] दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 5/5/25 को पेश हो।

5/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब मुख्यालय कार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 9/5/25 को पेश हो।

9/5/25 पत्रावली पेश हुई आज......बार [illegible]...... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...20/6/25..को पेश हो।

20/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। ....वास्ते तहसील जांच रिपोर्ट.... पत्रावली दिनांक .22/8/25 को पेश हो

हस्ता.

उपखण्ड अधिकारी
आरांई

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। तहसील से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का स्वामित्व पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी से नत्थी हो। WD

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। [illegible] (प्रतिवादी [illegible]) [illegible]

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 96/2024
अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956
1. ग्राम पंचायत देवपुरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र सुजा, जाति भांवी निवासी चौसला, तहसील अराई, जिला अजमेर, राज

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील अंराई तहसील अंराई, जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

निर्णय दिनांक 22.8.2025

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी स्वयं ग्राम पंचायत देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज. का संरपच पद निर्वाचित होकर, जनता (ग्राम पचायत देवपुरी) की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। राजस्व ग्राम चौसला पटवार क्षेत्र बौसला तहसील अराई (अजमेर) के वर्तमान खाता संख्या नया 01 पुराना 01 खसरा संख्या 149 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है. एवं खाता संख्या नया / पुराना 43/38 खसरा सख्या 147 रकबा 0.9870 किस्म बंजर 2 दर्ज है। खसरा संख्या 149 की जगह सहवन से त्रुटि पूर्वक खसरा संख्या 147 एवं खसरा संख्या 147 के स्थान पर सहवन से त्रुटि पूर्वक खसरा संख्या 149 वर्तमान राजस्व नक्शे में गलत दर्ज हो गया है, जबकि संवत् 2027 के राजस्व नक्शे में उक्त खसरा संख्या का अकन सही दर्ज है। इस कारण प्रार्थी को शुद्धी का उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वर्तमान खाता संख्या 38 के खसरा संख्या 147 रकचा 0.9870 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी दर्ज होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया क्योकि अप्रार्थी सख्या 01 वर्तमान खसरा संख्या 149 की भुमि पर काबिज काश्त है।प्रार्थी को उक्त जानकारी दिनांक 12.08 2024 को उस वक्त हुई जब प्रार्थी को उक्त खसरा संख्या 149 किस्म मैं मुरास्ते की नकल व राजस्व नक्शा प्राप्त किया तो पता चला कि खसरा संख्या 147 के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 149 दर्ज है तथा उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 02 के नाम राजस्व नक्शे में दर्ज है, जो कि गलत है एवं संवत् 2027 के राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 149 गै.मु.रास्ता ही दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान 147 व 149 भुमि राजस्व ग्राम चौसला पटवार हल्का चौसला भू.अ.नि.क्षेत्र दादिया तहसील अराई (अजमेर) में स्थित होने से श्रीमान् को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। नवीन खाता संख्या 01 के खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किरंग गै. मु.सस्ता एव नवीन खाता संख्या 38 के खसरा संख्या 147 रकबा 0.9870 किस्म बजर 2 दर्ज है, के स्थान पर संवत् 2027 के राजस्व नक्शा के अनुसार उक्त वर्तमान राजस्व नक्शे व जमाबंदी के अनुसार शुद्धी किये जाने का **निवेदन किया गया है ।**

प्रकरण को दिनांक 01.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगणो सम्मन नोटिस जारी किए गए । दिनांक 22.8.2025 को अप्रार्थीगणो के तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए ।दिनांक 28.7.2025 को पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर सहमति प्रस्तुत की है । पेरोकार सरकार तहसीदार अराई का जवाब व मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पेरोकार सरकार के जवाबअनुसार ग्राम चौसला, प. म. चौसला, भू.अ.नि. दादिया के वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार संवत 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 1 में ख.सं. 149

रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु रास्ता तथा खाता सं. 43 ख.सं. 147 रकबा 0.9870 हैक्टेयर किस्म बंजर 2 गोपाल पुत्र सुजा हि. पूर्ण जाति भांबी सा. देह राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।

पेशीकार सरकार की जांच रिपोर्ट अनुसार दस्तावेज मय नक्शा प्रति रिपोर्ट तहसीलदार अरांई अनुसार शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जायेगी। राजस्व रिकार्ड में वाद अधीन ग्राम चोसला पटवार मण्डल चोसला के नवीन खाता संख्या 01 के खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै. मु.रास्ता एव नवीन खाता संख्या 38 के खसरा संख्या 147 रकबा 0.9870 किस्म बंजर 2 दर्ज है, के स्थान पर संवत् 2027 के राजस्व नक्शा के अनुसार उक्त वर्तमान राजस्व नक्शे व जमाबंदी के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि इन्द्राज की दुरूस्ती करने पर वर्तमान जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)